



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

11AA 444179

प्रारूप-26

(नियम 4क देखिए)

21 कैंट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से


(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

उत्तराखण्ड विधान सभा (सदन का नाम) के लिये निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ-पत्र।

मैं नुपुर पत्नी श्री महेश चन्द्र आयु 42 वर्ष, जो 36 विजय कालोनी, न्यू कैंट रोड, देहरादून की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ:-

1. मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त हैं तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी): लागू नहीं



Notary


.2.

- (i) मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या / संख्याएं..... नहीं ।
(ii) पुलिस थाना (थाने).....जिला या जिले.....राज्य.....नहीं ।
(iii) सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है..... नहीं ।
(iv) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप(आरोपों) की विरचना की गई..... नहीं ।
(v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था / किए गए थे..... नहीं ।
(vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है / हैं.....नहीं ।

2. मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाली अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिये सिद्धकोष टहराया गया है / नहीं टहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिये कारावास से दंडादिष्ट किया गया है / नहीं किया गया है ।

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष टहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा): -लागू नहीं

- (i) मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या / संख्याएं..... नहीं ।
(ii) न्यायालय, जिसने दंडित किया है..... नहीं ।
(iii) पुलिस थाना (थाने).....जिला (जिले).....राज्य..... नहीं ।



Sanjeev Sharma


.3.

(iv) सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियम) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) के लिये अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है..... नहीं।

(v) तारीख (तारीखें) जिनको दंडादेश सुनाया गया था/ सुनाए गए थे..... नहीं।

(vi) क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गए हैं..... नहीं।


स्थान: देहरादून
तारीख:—09.01.2012


अभिसाक्षी के हस्ताक्षर


सत्यापन


मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करती हूं कि इस शपथपत्र की अन्तर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्विक बात छिपायी नहीं गई है।

देहरादून स्थान पर आज तारीख 09.01.2012 को सत्यापित किया।



This affidavit is sworn before me by
Shri. Shri. Noopus
who is identified by Shri.
at Dehradun on


(SANJEEV SHARMA)
Advocate & NOTARY Dehradun
10/1/12


अभिसाक्षी के हस्ताक्षर